भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2951
दिनांक 10.03.2026 को उत्तरार्थ

बिहार में पंचायती राज संस्थाएं

2951. श्री तारिक अनवरः

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः:

(क) सरकार द्वारा बिहार, विशेषकर सीमांचल क्षेत्र में, पंचायती राज संस्थाओं की कार्यात्मक और वित्तीय स्थिति के संबंध में आयोजित हालिया आकलन के परिणाम क्या रहे;

(ख) सरकार ने 14वें वित्त आयोग के अनुदान सहित केंद्रीय योजनाओं के तहत प्रदान की गई धनराशि के उपयोग की निगरानी के लिए क्या तंत्र विकसित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाएं विकास कार्य करने में सक्षम हों; और

(ग) सरकार की उक्त क्षेत्रों में पंचायत सदस्यों और प्रतिनिधियों, विशेषकर महिलाओं के क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों का लाभ उक्त पदाधिकारियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से क्या विशिष्ट योजनाएं हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह)

(क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची के संदर्भ में पंचायत, 'स्थानीय सरकार" होने के कारण राज्य का विषय है। पंचायतों को, संविधान के प्रावधानों के अधीन, राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों, जो राज्य दर राज्य भिन्न हो सकते हैं, के अंतर्गत स्थापित और संचालित किया जाता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243छ, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों कों, जो पंचायतों को सौंपी जा सके, जिनमें संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषय भी शामिल हैं, के क्रियान्वयन के लिए, राज्य के विधान-मंडल को, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उचित स्तर पर पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, कानून द्वारा, प्रावधानों को बनाने का अधिकार देता है। राज्य के विधान-मंडल को, पंचायतों को शक्तियों और उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण के लिए, ग्यारहवी अनुसूची में वर्णित 29 विषयों पर विचार करना होता है। तदनुसार, स्थानीय सरकारों की कार्यप्रणाली और वित्तीय स्वायत्तता संबंधित राज्यों, जिनमे बिहार राज्य भी शामिल है, द्वारा उन्हे सौंपी गई शक्तियों और संसाधनों , जो विभिन्न राज्यों मे अलग-अलग होते हैं, की सीमा पर निर्भर करता है।

पंचायती राज मंत्रालय ने फरवरी, 2025 में 'राज्यों में पंचायतों को अंतरण की स्थिति-एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंकिंग, 2024' नामक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है, जो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को सुदृढ बनाने में स्थानीय सरकारों की भूमिका और अंतरण की प्रभावकारिता का आकलन करती है। यह रिपोर्ट अंतरण सूचकांक को प्रस्तुत्त करती है, जोकि संविधान के भाग-9 के अंतर्गत आने वाले, बिहार सहित, सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों को चिन्हित किए गए छः आयामों, अर्थात् रूपरेखा, कार्य, वित्त, पदाधिकारी, क्षमता में वृद्धि और

जवाबदेही के आधार पर उनको समग्र स्कोर और रैंक प्रदान करती है। इस रिपोर्ट के आधार पर, बिहार राज्य की समग्र रैंक 14 है। यह रिपोर्ट किसी राज्य में पंचायतों का क्षेत्रवार आकलन प्रदान नहीं करती है।

पंचायती राज मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण (एलएसडीजी) के साथ संरेखित नौ विषयों में ग्राम पंचायतों / समकक्ष ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन को मापने के लिए एक समग्र मूल्यांकन ढांचे के रूप में पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) भी विकसित किया है। पीएआई स्कोरकार्ड और डैशबोर्ड के माध्यम से विषय-वार और समग्र स्कोर प्रदान करता है, जिससे पंचायत स्तर पर प्रदर्शन अंतराल, सापेक्ष मजबूती और ध्यान केंद्रित करने वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, पीएआई संस्करण 1.0 को अप्रैल 2025 में जारी किया गया था। पूरे भारत में 2.16 लाख ग्राम पंचायतों / समकक्ष ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए कुल 29 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों ने समर्पित पोर्टल (www.pai.gov.in) में प्रमाणित पीएआई आँकड़े प्रस्तुत किए हैं। पीएआई संस्करण 2.0 (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए अभ्यास मई 2025 में शुरू किया गया था।

इसके अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर अध्ययनों, समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों आदि के माध्यम से पंचायतों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा करता है। यह मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की योजना के माध्यम से पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यापक स्तर पर क्षमता निर्माण करता है।

(ख) वित्त वर्ष 2022-23 से, इस मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू किया है। राज्यों को जारी धन के उपयोग सहित योजना के कार्यान्वयन की लिखित पत्राचार, समीक्षा बैठकों / वीडियो कॉन्फ्रेंस, पूर्व-सीईसी बैठक, क्षेत्रीय दौरों आदि के माध्यम से बारीकी से निगरानी की जाती है। आरजीएसए की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी देते समय, योजना के कार्यान्वयन और उसके लिए धन के उपयोग की प्रगति की भी समीक्षा करती है। राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों से लगातार अनुरोध किया जाता है कि वे अपेक्षित दस्तावेज जैसे तिमाही, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, उपयोगिता प्रमाण पत्र, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करें और धन जारी करने को विनियमित करने के लिए वित्त मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन करें। आरजीएसए के तहत धन जारी करने और नजर रखने के लिए लेनदेन आधारित सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) शुरू की गई है।

पंचायती राज मंत्रालय सभी पंचायतों को प्रत्येक वर्ष केंद्रीय वित्त आयोग के तहत अनुदान के उपयोग के लिए अपनी योजनाएं तैयार करने और अपलोड करने की सुविधा प्रदान करने के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल भी प्रदान करता है। पंचायतों द्वारा विधिवत अनुमोदित इन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी प्रत्येक चरण में सिस्टम जनित वाउचर, जियो टैगिंग और पंचायत प्रधान तथा पंचायत सचिव को सौंपी गई जिम्मेदारियों के माध्यम से की जाती है। पंचायत खातों और वित्तीय प्रबंधन के ऑनलाइन ऑडिट और केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान उपयोग के पारदर्शी ऑडिट के लिए इस मंत्रालय द्वारा 'ऑडिट ऑनलाइन' ऐप्लिकैशन अप्रैल 2020 में शुरू किया गया था।

(ग) आरजीएसए योजना के तहत, यह मंत्रालय निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), जिनमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधि (डब्ल्यूईआर), पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों शामिल हैं, को नेतृत्व भूमिकाओं के लिए उनकी शासन क्षमताओं को विकसित करने और प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 (28 फ़रवरी 2026 तक) तक कुल 30,94,748 डब्ल्यूईआर को प्रशिक्षित किया गया। सेवा प्रदायगी व्यवस्था, नेतृत्व कौशल और पंचायतों से संबंधित विभिन्न विषयों के वर्धित क्षमता निर्माण प्रशिक्षण से महिला पंचायत के सदस्यों की निर्वाचित प्रतिनिधियों के रूप में सौंपे गए कार्यों को करने की क्षमताओं और योग्यताओं में वृद्धि हुई है। महिला पंचायत सदस्यों को जमीनी स्तर पर उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षित किया जाता है।

मंत्रालय ने पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों की क्षमता निर्माण के लिए "सशक्त पंचायत नेत्री अभियान" के एक भाग के रूप में, एक व्यापक विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किया है। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का मूल बिंदु ग्रामीण शासन के विभिन्न पहलुओं पर चयनित महिला प्रतिनिधियों की क्षमता को बढ़ाना, चयनित प्रतिनिधियों के रूप में भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन के लिए ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को बढ़ाना और प्रभावी महिला नेतृत्व वाले शासन के लिए नेतृत्व, संचार, प्रबंधकीय तथा निर्णय लेने के कौशल को विकसित करना है। इस विशिष्ट मॉड्यूल पर कुल 1,05,966 महिला निर्वाचितप्रतिनिधियों (28 फ़रवरी 2026 तक) को प्रशिक्षित किया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर, विभिन्न विषयों पर पंचायतों को उनके अनुकरणीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाता है।

***